International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume IV, Issue V, October 2017 Available online at: www.ijaur.com

ग्राम पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त वित्तीय सहायता एवं अनुदान की स्थिति–एक अध्ययन

डॉ. प्रमोद तिवारी
अर्थशास्त्र विभाग
श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, रीवा (म.प्र.)

सारांश–

ग्राम पंचायतों की आय के स्त्रोत में, विद्युत कर, मकान कर, बाजार, पानी कर, कांजी हाउस से आय, गौण खनिज से आय, मत्स्यपालन से आय, मेला से आय, मृत पशु की हड्डी के नीलामी से आय को सम्मिलित किया जाता है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दृष्टि से स्टाम्प ड्यूटी पर अतिरिक्त शुल्क वाणिज्यिक कर पर आरोपित किये गये। सरचार्ज की आय का 30 प्रतिशत सीधे पंचायतों के तीनों स्तरों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शब्द – ग्राम पंचायत, वित्तीय सहायता एवं अनुदान ।

प्रस्तावना –

पंचायतों की आय का प्रमुख स्त्रोत केन्द्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाला अनुदान है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक वानिकी, गैर औपचारिक शिक्षा, ग्रामीण नल–जल प्रदाय योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राजीव गांधी पेय जल मिशन, मिनी आई.टी.आई. आदि योजनायें आती हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना में लगने वाली राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र तथा 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य शासन से प्राप्त होता है। जवाहर रोजगार योजना में भी 80 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र तथा 20 प्रतिशत हिस्सा शासन से प्राप्त होता है। सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम के संचालन हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन से क्रमशः 50–60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है जबकि पड़त भूमि विकास योजना हेतु केन्द्र शासन से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी में केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा 50–50 प्रतिशत है। मिनी आई.टी.आई. केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इसके लिए केन्द्र से आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2003–04 में जिला पंचायत शहडोल को राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों हेतु रू. 415.30 लाख तथा 11वें वित्त आयोग से 313.870 लाख रूपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए।

वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अनुदान स्वीकृत किया जाता है। शहडोल जिला के लिए वर्ष 2003–04 में केन्द्र सरकार से रूपये 1289.962 लाख तथा राज्य सरकार से रूपये 528.169 लाख अनुदान प्राप्त हुआ। विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत पृथक–पृथक मदों में केन्द्र द्वारा राज्यों को, राज्य द्वारा जिला पंचायत को जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को तथा जनपद पंचायत से ग्राम पंचायत को वित्तीय आबंटन प्राप्त होता है। पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2001 के पारित होने के साथ ही यह व्यवस्था लागू हुई है कि जनपद पंचायतों से अनुदान राशि ग्राम पंचायतों को दी जायेगी, किन्तु इससे अपनी योजना के अनुसार व्यय करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। गांव की प्रगति के लिए कौन–कौन सी योजनायें लागू एवं क्रियान्वित की जावे, किन–किन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय, इसका निर्णय ग्राम सभायें लेंगी।

अधिनियम में व्यवस्था की गयी है कि अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा अपनी सीमा के भीतर आने वाले जल, जंगल एवं जमीन की मालिक होगी। उनकी देखभाल ग्राम सभा अपने प्रचलित रीति–रिवाज के अनुसार करेगी। ग्राम सभा में लागू की जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं पर ग्राम सभा का नियंत्रण रहेगा। इन योजनाओं की धन राशि एवं व्यय पर किसी विभाग के स्थान पर ग्राम सभा का अधिकार हेगा। जमीन के बंटवारे आदि के सभी अधिकार ग्राम सभा को दिये गये हैं। ग्रामीण विकास की दृष्टि से अनेक योजनायें निजी, सामुदायिक एवं शासन के स्तर पर संचालित की जाती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से शहडोल जिला आर्थिक दृष्टि से निरंतर प्रगति कर रहा है किन्तु प्रदेश के स्तर पर तुलनात्मक दृष्टि से इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। शहडोल जिले में उद्योगों की स्थापना न होने के कारण औद्योगिक प्रगति का अभाव है। अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।

विश्लेषण –

पंचायतों की वित्तीय क्षमता हेतु राज्य शासन के निरंतर प्रयास किये गए हैं। राज्य शासन ने विधान में प्रावधान कर पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कई नये करों को आरोपित करने का अधिकार दिया हैं। राज्य शासन ने नवीन पंचायती राज व्यवस्था के गठन के पश्चात् राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। आयोग ने पंचायतों को उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों पर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा जिसके

आधार पर राज्य शासन ने प्रतिवेदन की अधिकांश अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है तथा इस हेतु आबंटन भी प्रदाय कर दिये गए हैं। ऐसे सभी प्रावधानों एवं प्रदत्त वित्त के बाद भी पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता है। पंचायतों का वित्तीय सक्षमता के लिए केवल राज्य शासन के अनुदान पर निर्भर रहना किन्हीं भी संदर्भ में फलदायी नहीं हो सकता है। पंचायतों को स्थानीय करारोपण के अधिकार प्रदाय किये गये हैं किन्तु उनका प्रयोग बहुत कम स्थानों पर ही दिखलायी देता है। इस संदर्भ में पंचायत प्रतिनिधियों के दो विचार हैं। प्रथम, तो यह कि पंचायत क्षेत्रों की ग्रामीण जनता निर्धनता में जीवनयापन करती है जिस पर कोई करारोपण संभव नहीं है। द्वितीय, पंचायत प्रतिनिधि किसी भी नये कर को ग्रामवासियों पर आरोपित करना अलोकप्रिय निर्णय मानते हैं।

विभिन्न योजनाओं हेतु राज्य शासन से धन जिला पंचायतों को आबंटित किया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए राशि का आबंटन उस जिले की जनसंख्या में श्रमिक वर्ग, सीमान्त कृषक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर किया जाता है। राज्य शासन से जिला पंचायतों को आबंटित धन, जिला पंचायत से जनपद पंचायत को तथा जनपद पंचायत से ग्राम पंचायत को उनकी योजनाओं अथवा योजनाओं के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बजट की राशि आबंटित की जाती है। योजनाओं के लिए कोष ग्राम पंचायत के पास होता है। 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, लागू की गई है। इसमें पुरानी कमियों को दूर कर ऐसी व्यवस्था की गयी है जिसमें ग्रामीण विकास की योजनायें बनाने, पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण रखने की वास्तविक शक्तियाँ ग्राम सभा को सौंपी गयी है। अब कोई भी योजना ग्राम सभा की स्वीकृति के अभाव में पारित नहीं हो सकेगी। बजट ग्राम सभा के आधीन होगा जिसमें विभिन्न व्ययों हेतु राशि ग्राम सभा के कोषाध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही आहरित की जा सकेगी। पंचायत के महत्व को कम कर सारी शक्तियां ग्राम सभा में समाहित कर दी गयी है। योजना बनाते समय ग्राम सभा योजना निर्माण के समय सामान्यतया योजना के लिए गांव में उपलब्ध मानवीय संसाधन, तकनीकी, कुशलता गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जिसमें वन, भूमि, जल एवं गौण खनिज तथा सार्वजनिक संसाधन जिसके अंतर्गत गांव में करारोपण से आय, केन्द्र या राज्य सरकार से अनुदान, सांसद या विधायक मद से वित्तीय सहायता आदि स्रोतों से प्राप्त होने वाला धन आदि आते हैं।

वर्तमान समय में लगभग प्रत्येक ग्राम निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा पेयजल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित है। आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से शहडोल जिले की पंचायतों के स्वयं के स्त्रोत नगण्य हैं। वे आर्थिक रूप से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हैं। वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से रीवा जिले की 662 ग्राम पंचायतों में से केवल 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कही जा सकती है जबकि शेष 80 प्रतिशत पंचायतों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। सर्वेक्षण के समय इस आशय की जानकारी प्राप्त हुयी कि पंचायत पदधारी एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी तथा सचिव की निष्क्रियता के कारण भी ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति दयनीय है।

निष्कर्ष –

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वित्तीय दृष्टि से पंचायतों का आत्मनिर्भर होना इस व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शर्त है। राज्य शासन वित्तीय विकेन्द्रीकरण के लिए अपने स्तर पर प्रयासरत है, इसी प्रक्रिया को ग्रामीण स्तर पर विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय राजस्व के संग्रहण के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिये जिससे स्थितियों में सुखद बदलाव लाया जा सके।

संदर्भ –

1. Pajnt, J.C. and Seth, M.L. : History of Economic Throughts, 2001
2. Bhalerao, M.M. : India Agriculture Economics, 1969
3. द्विवेदी राधेश्याम : म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 2000.
4. विकासशील देशों की समस्यायें, भारत के सन्दर्भ में – म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1997.
5. रोजगार निर्माण एवं रोजगार समाचार पत्र
6. आगे आये लाभ उठाये – जनसम्पर्क विभाग का प्रकाशन, 2000.
7. वर्मा एवं गुरु : म.प्र. जिला गजेटियर, 1992.
8. सेन अमर्त्य : आर्थिक विषमता, 2001
9. गुप्त शिवकुमार : प्राचीन भारत का इतिहास, 1999
10. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का एक्शन प्लान वर्ष 2000–2001, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।